

मद 4(1) (ख)-(vi)

दस्तावेजों की श्रेणियां जो इसके नियंत्रणाधीन प्राधिकारी के पास हैं

दस्तावेजों की श्रेणियां जो इसके नियंत्रणाधीन प्राधिकारी के पास हैं

दस्तावेजों की श्रेणियां :- दस्तावेजों को गोपनीय (जिसे जनता को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता) और सामान्य के संदर्भ में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

i. निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो इसके प्रचालनों के कारगर व कुशल कार्य के लिए विभाग के पास हैं :

1. संस्था के अंतर्नियम व संस्था के ज्ञापन
2. कारोबार व कार्य के लिए विकसित नियम पुस्तिकाएं
 - क) मानव संसाधन मैनुअल,
 - ख) सर्विसिंग मैनुअल (घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय),
 - ग) प्रोक्योरमेंट मैनुअल,
 - घ) सतर्कता मैनुअल,
 - ण) संसाधन जूटाव मैनुअल (घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय),
 - च) निवेश मैनुअल
 - छ) जोखिम प्रबंधन नीति आदि
3. प्रचालनात्मक नीति विवरण

ii. गोपनीय दस्तावेज जो अधिनियम के खंड 8 के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त हैं, इस प्रकार हैं :

1. वाणिज्यिक गोपनीयता, व्यापार सीक्रेट्स अथवा बौद्धिक संपत्ति सहित, जिसके प्रकटन से तृतीय पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान हो
2. प्रवर्तन संबंधी उद्देश्यों के लिए अनुसंधानात्मक रिकॉर्डों का अनुपालन परंतु उस सीमा तक जिसके प्रकटन से निम्नलिखित किसी निर्दिष्ट हित का नुकसान हो :
 - क) प्रवर्तन कार्यवाहियां
 - ख) निष्पक्ष जांच या निष्पक्ष निर्णय
 - ग) निजी गोपनीयता
 - घ) जांच स्रोतों की गोपनीयता
 - च) कानून प्रवर्तन कार्मिकों की तकनीकें, कार्यविधि एवं सुरक्षा
3. किसी व्यक्ति की उसकी न्यासीय स्थिति में उपलब्ध जानकारी
4. विदेशी सरकार से गुप्त रूप से प्राप्त जानकारी
5. जानकारी, जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन अथवा शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो अथवा कानून प्रवर्तन अथवा सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई जानकारी अथवा सहायता के स्रोत का पता लगाना।
6. ऐसी सूचना जो किसी की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है जिसके प्रकटन का सार्वजनिक गतिविधि अथवा हित से कोई संबंध नहीं है अथवा जो संबंधित व्यक्ति की निजता में अकारण दखल दे।
7. जानकारी जो विशेष रूप संविधि द्वारा प्रकटन से छूट प्राप्त हो।
8. जानकारी जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हित, अंतराष्ट्रीय संबंधों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता हो अथवा जो किसी अपराध के लिए उकसाए।

9. जानकारी जिसे स्पष्ट रूप से किसी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा प्रकाशित करने की मनाही हो अथवा जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो।
10. जानकारी जिसके प्रकटन से संसद के विशेषाधिकार अथवा राज्ज विधायिका का उल्लंघन होता हो।
11. कोई अन्य दस्तावेज़ जिसे प्रबंधन अपने एकमात्र स्वविवेक से गोपनीय रखना चाहता है।

दस्तावेजों/श्रेणियों का अभिरक्षक :- कॉर्पोरेशन द्वारा रखे गए दस्तावेज आम तौर पर संबंधित और उत्तरदायी अधिकारी द्वारा कॉर्पोरेशन के भीतर संदर्भ के लिए होते हैं।

संबंधित दस्तावेजों का अभिरक्षक संबंधित यूनिट का प्रमुख होता है।